बड़ा फैसला | **प्रमोशन से वंचित करना बताया अन्यायपूर्ण, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश**

सेवानिवृत्त उप-वनक्षेत्रपालों को मिलेगी पदोन्नति

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: उच्च न्यायालय ने सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सेवानिवृत्त उप-वनक्षेत्रपालों मंगलू राम बघेल और सीताराम को वन क्षेत्रपाल पद पर काल्पनिक (नोशनल) पदोन्नति प्रदान करे व इसके आधार पर उनके वेतन और पेंशन लाभों का पुनर्निर्धारण किया जाए। यह आदेश उच्च न्यायालय ने पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र पाली, अनिकेत वर्मा व विवेक श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

दशकों की सेवा के बाद भी नहीं मिली अंतिम पदोन्नति-

दोनों याचिकाकर्ता वन विभाग में लंबी सेवा देने वाले अधिकारी हैं।

इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में कप गार्ड के रूप में की थी। वर्ष 2008-09 में इन्हें फारेस्टर पद पर और वर्ष 2014 में उप-वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद वर्ष 2020 में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में दोनों अधिकारियों को वन क्षेत्रपाल पद के लिए पात्र पाया गया और उनके नाम पर अनुशंसा भी की गई। 16 फरवरी 2015 के राज्य शासन के परिपत्र के अनुसार, डीपीसी की अनुशंसा के 20 कार्य दिवसों के भीतर पदोन्नति आदेश जारी करना अनिवार्य है। बावजूद इसके, संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

दूसरी बार समीक्षा, फिर भी नहीं मिली पदोन्नति

जब काफी समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सीताराम ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की, जिसमें प्रार्थना की गई कि सेवानिवृत्ति से पहले उन्हें पदोन्नति दी जाए। इसके बाद विभाग ने 02 जनवरी 2020 को हुई डीपीसी बैठक का पुनर्विलोकन किया और दोनों अधिकारियों को फिर से पात्र मानते हुए वन क्षेत्रपाल पद पर पदोन्नति के लिए अनुशंसा की। लेकिन इसके बाद भी पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया गया।

कोर्ट का स्पष्ट निर्देश: नियमों की अवहेलना अनुचित: न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि शासन द्वारा निर्धारित 20 कार्यदिवस की समय-सीमा का पालन नहीं करना नियमों की खुली अवहेलना है। कोर्ट ने माना कि पदोन्नति से वंचित करना दोनों अधिकारियों के साथ अन्याय है और इससे उनके पेंशन लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि दोनों याचिकाकर्ताओं को उप वनक्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल पद पर काल्पनिक (नोशनल) पदोन्नति प्रदान की जाए। उक्त नोशनल पदोन्नति के आधार पर उनके वेतन और पेंशन लाभों का पुनर्निर्धारण किया जाए।